कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने पोक्सो एक्ट के 01 आरोपी को किया गिरफ्तार

दिनांक-24.01.2024 को एक महिला ने कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी कि मोहन कुमार नाम के व्यक्ति द्वारा उसकी पुत्री, उम्र 17 वर्ष के साथ दुष्कर्म करने जिससे उसकी पुत्री गर्भवती है, जिस पर तत्काल कोतवाली अल्मोड़ा में अभियुक्त मोहन कुमार के विरुद्ध धारा-376 भा0द0वि0 व 5J (ii)/6 पोक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर पंजीकृत की गयी।

श्री देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा अपराध की गंभीरता/संवेदनशीलता के दृष्टिगत सीओ अल्मोड़ा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा को अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया।

सीओ अल्मोड़ा श्री विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अल्मोड़ा श्री अरुण कुमार द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरागरसी-पतारसी से दिनांक- 24.01.2024 को ही एफआईआर दर्ज होने के लगभग 03 घंटे में अभियुक्त मोहन कुमार को गिरफ्तार कर पंजीकृत एफआईआर में अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मोहन कुमार,उम्र-29 वर्ष पुत्र ख्याली राम निवासी पलना, पोस्ट ढौरा, लमगड़ा, जिला अल्मोडा

पुलिस टीम-

1. म0 उपनिरीक्षक श्रीमती रिंकी सिंह, कोतवाली अल्मोड़ा।

2-कानि0 श्री मनोज कुमार, कोतवाली अल्मोड़ा।